भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
राजस्व विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 1800

(जिसका उत्तर सोमवार, 13 फरवरी, 2023/24 माघ, 1944 (शक) को दिया जाना है।)

काले धन को जब्त करना

1800. **श्री एस. रामलिंगम:**

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) विगत पांच वर्षों में से प्रत्येक वर्ष के दौरान केंद्रीय एजेंसियों द्वारा जब्त किए गए काले धन की राज्य/संघराज्यक्षेत्र-वार मात्रा कितनी है;

(ख) काला धन (अघोषित विदेशी आय और परिसंपत्तियां) तथा कराधान अधिनियम, 2015 के अंतर्गत पंजीकृत किए गए और दोषसिद्धि संबंधी मामलों की राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार संख्या कितनी है;

(ग) क्या सरकार ने देश में काले धन की समस्या पर अंकुश लगाने के लिए हाल ही में किन्हीं बाहरी एजेंसियों/सरकार के साथ किसी सहयोग ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं तथा सहयोग किया है और यदि हां,तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार द्वारा देश में काले धन को परिभाषित करने/आंकने के लिए उपयोग की जाने वाली उपयुक्त कार्यविधि क्या है?

उत्तर

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पंकज चौधरी)

(क): आयकर अधिनियम, 1961, सीमा शुल्क अधिनियम, 1962, सीजीएसटी अधिनियम, 2017, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 और तत्कालीन वित्त अधिनियम, 2017 का अध्याय v (सेवा कर से संबंधित) के अंर्तगत 'काला धन' शब्द परिभाषित नही हैं।

जहां तक आयकर विभाग (आईटीडी) का संबंध है, जब भी 'प्रत्यक्ष-कर' चोरी की कोई विश्वसनीय जानकारी उसके संज्ञान में आती है, तो वह अघोषित आय को कर के दायरे में लाने के लिए तलाशी और जब्ती अभियान सहित उपयुक्त कार्रवाई करता है। तलाशी और जब्ती के दौरान जब्त की गई आस्तियों का ब्यौरा अनुबंध में दिया गया है।

इसके अलावा, राजस्व का सूचना निदेशालय (डीआरआई) सहित केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क (सीबीआईसी) के फील्ड कार्यालय द्वारा की गई नकदी जब्तियों का ब्यौरा अनुबंध में दिया गया है।

ईडी द्वारा कि गई कार्रवाईयों का ब्यौरा उत्तर के भाग (ख) में शामिल है।

(ख): सरकार ने काला धन (अघोषित विदेशी आय और परिसंपत्तियां)और कर अधिरोपण अधिनियम, 2015 (बीएमए, 2015) नामक एक व्यापक और कठोर नया कानून अधिनियमित किया था, जो 01.07.2015 से लागू है। धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 (पीएमएलए) के तहत अघोषित विदेशी आय/संपत्ति के संबंध में जानबूझकर कर से बचने के प्रयास का अपराध एक अनुसूचित अपराध है, जिसके लिए प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा उपयुक्त कार्रवाई की जाती है ताकि आपराधिक गतिविधियों से हुई प्राप्ति की पहचान, अनंतिम कुर्की और उपयुक्त मामलों में अभियोजन शिकायत दर्ज की जा सके।

बीएमए, 2015 के तहत आयकर विभाग (आईटीडी) द्वारा की गई कार्रवाई का विवरण निम्नानुसार है:

- बीएमए, 2015 के अन्तर्गत एकमुश्त तीन माह की अनुपालन विंडो, जो 30 सितम्बर, 2015 को बंद हो गई, में 4164 करोड़ रूपए मूल्य की अघोषित विदेशी परिसंपत्ति से जुड़े 648 खुलासे किए गए। ऐसे मामलों में कर और जुर्माने के रूप में एकत्र की गई राशि लगभग 2476 करोड़ रूपए है।

- 30.11.2022 तक, बीएमए, 2015 के तहत 394 मामलों में आकलन पूरा कर लिया गया है, जिससे 15,570 करोड़ रुपये से अधिक की कर मांग की गई है। इसके अतिरिक्त, बीएमए, 2015 के प्रावधानों के अंतर्गत 125 अभियोजन शिकायतें फाईल की गई है। राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार ब्यौरा अलग से नहीं रखा जाता है।

बीएमए, 2015 से संबंधित उल्लंघनों से जुड़े मामलों के संबंध में ईडी द्वारा की गई कार्रवाई का विवरण निम्नानुसार है:

- बीएमए, 2015 से संबंधित उल्लंघनों से संबंधित विधेय अपराधों के संबंध में 13 पीएमएलए मामलों की जांच के दौरान, आपराधिक गतिविधियों से हुई 42.57 करोड़ रूपए के मूल्य की प्राप्ति को कुर्क/जब्त किया गया है और 03 अभियोजन शिकायतें दर्ज की गई हैं।
- इसके अलावा, 05 मामलों में फेमा की धारा 37क के तहत 93.07 करोड़ रुपए मूल्य की परिसम्पत्तियों को जब्त किया गया है ।

(ग): भारत सरकार ने अन्य देशों के साथ दोहरा कराधान परिहार समझौता/कर सूचना विनिमय समझौता/कर मामलों में पारस्परिक प्रशासनिक सहायता पर बहुपक्षीय सम्मेलन/सार्क बहुपक्षीय समझौतो ("कर संधि") किया है जो सूचना के विनियम का प्रावधान करते हैं जो करों से संबंधित घरेलू कानूनों के प्रशासन और प्रवर्तन के लिए प्रत्याशित रूप से प्रासंगिक है। इन कर संधियों के तहत सूचनाओं के आदान-प्रदान के लिए भारत विदेशी सरकारों के साथ सक्रिय रूप से जुड़ा रहा है।

एफआईयू- भारत एगमोन्ट ग्रुप, एक अतराष्ट्रीय संगठन जो वित्त आसूचना एककों (एफआईयू) के बीच सूचना के आ□□□-प्रदान और सहयोग के लिए है जिसका भारत एक सदस्य है। इस समूह में आज के तिथी तक 167 सदस्य हैं। एगमोन्ट ग्रुप के सदस्यों के रूप में, एफआईयू एक उच्च सुरक्षित नेटवर्क- एगमोन्ट सिक्योर्ड वेब (ईएसडब्ल्यू) के माध्यम से अपनी भूमिकाओं और कार्यों के अनुसार विभिन्न मामलों पर तत्कालीक आधार पर स्वतंत्र रूप से सूचना का आ□□□-प्रदान कर सकते हैं। एफआईयू-भारत ने भी आसूचना के आ□□□-प्रदान के लिए 2008 से 2022 तक की अवधि के लिए अपने विदेशी समकक्षों के साथ दिव्पक्षीय संबंधों को प्रगाढ़ करने के लिए 48 देशों के साथ समझोंता ज्ञापन भी संपन्न किए हैं।

(घ): देश में काले धन की मात्रा को परिभाषित करने/मापने के लिए कोई आधिकारिक अनुमान या पद्धति नहीं है। हालांकि, सरकार ने राष्ट्रीय सार्वजनिक वित्त और नीति संस्थान (एनआईपीएफपी), राष्ट्रीय अनुप्रयुक्त आर्थिक अनुसंधान परिषद (एनसीएईआर) और राष्ट्रीय वित्तीय प्रबंधन संस्थान (एनआईएफएम) के माध्यम से, अन्य बातों के साथ-साथ, देश के अंदर और बाहर बेहिसाब आय और धन के अनुमान पर, अध्ययन कराया गया था। वित्त संबंधी स्थायी समिति के समक्ष रखने के लिए रिपोर्ट और उन पर सरकार की विस्तृत प्रतिक्रिया लोकसभा सचिवालय को भेजी गई थी। वित्त संबंधी स्थायी समिति ने उचित विचार-विमर्श और आवश्यक मौखिक साक्ष्य लेने के बाद, 28.03.2019 को लोकसभा के माननीय अध्यक्ष को इस मामले पर एक प्रारंभिक रिपोर्ट (यानी वित्त पर स्थायी समिति की 73वीं रिपोर्ट) प्रस्तुत की और इसमें यह टिप्पणी की कि *"देश के अंदर और बाहर बेहिसाब आय और धन, भारत के संदर्भ में विश्वसनीय अनुमान के लिए उत्तरदायी प्रतीत नहीं होता है*"

****

अनुलग्नक

1. **आयकर विभाग द्वारा वित्त वर्ष 2017-18 से वित्त्त वर्ष 2022-23 तक (नवंबर, 2022 तक) तलाशी और जब्ती कार्रवाइयों के दौरान जब्त परिसंपत्तियों के विवरण :**

वित्तीय वर्ष	तलाशी लिए गए समूहों की संख्या	जब्त परिसंपत्ति का मूल्य) करोड़ रुपए में (
2017-18	**582**	**992.52**
2018-19	**966**	**1567.07**
2019-20	**984**	**1289.47**
2020-21	**569**	**880.83**
2021-22	**686**	**1159.59**
2022-23) नवंबर 2022 तक(*	**438**	**1179.53**

** आंकड़े अनंतिम हैं*

*** चूंकि तलाशी लिए गए समूह आमतौर पर कई राज्यों/ भौगोलिक क्षेत्रों में फैले हुए हैं, इसलिए उनमें की गई परिसंपत्ति की जब्ती को किसी विशेष राज्य (राज्यों) के लिए जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता है।*

2. **वित्त वर्ष 2017-18 से वित्तीय वर्ष 2022-23 (जनवरी, 2023 तक (के दौरान जीएसटी, केंद्रीय उत्पाद शुल्क या सेवा कर)संयुक्त(की चोरी के संबंध में कीगई नकद जब्ती का विवरण:**

वर्ष	राज्य	नकद जब्ती की राशि)करोड़ रुपये में(
2017-18	छत्तीसगढ	1.17
	गुजरात	0.58
	मध्य प्रदेश	0.22
	महाराष्ट्र	4.29
	राजस्थान	0.76
	तमिलनाडु	1.01
2018-19	छत्तीसगढ	1.00
	दिल्ली	1.57
	गुजरात	0.11
	हरियाणा	2.22
	कर्नाटक	0.09
	महाराष्ट्र	2.01
	पंजाब	1.24
	राजस्थान	1.64
	पश्चिम बंगाल	1.60

2019-20	छत्तीसगढ	1.44
	दिल्ली	2.36
	गुजरात	0.08
	कर्नाटक	5.05
	केरल	0.27
	महाराष्ट्र	0.22
	पंजाब	0.21
	राजस्थान	0.73
	तमिलनाडु	1.09
	उत्तर प्रदेश	7.02
	पश्चिम बंगाल	2.67
2020-21	असम	0.39
	चंडीगढ़	0.38
	छत्तीसगढ	0.18
	दिल्ली	6.32
	गुजरात	1.11
	हरियाणा	1.31
	कर्नाटक	0.43
	केरल	0.32
	मध्य प्रदेश	1.18
	महाराष्ट्र	5.01
	ओडिशा	0.04
	पंजाब	1.90
	राजस्थान	0.84
	तमिलनाडु	2.34
	उत्तर प्रदेश	3.24
	पश्चिम बंगाल	1.39
2021-22	आंध्र प्रदेश	1.78
	असम	1.01
	छत्तीसगढ	0.80
	दिल्ली	4.21
	गुजरात	0.64
	हरियाणा	2.53
	कर्नाटक	0.37
	ओडिशा	7.48
	पंजाब	1.52

	राजस्थान	1.80
	उत्तर प्रदेश	207.13
	उत्तराखंड	0.44
2022-23 (23 जनवरी तक (	असम	0.78
	छत्तीसगढ	0.62
	दिल्ली	8.45
	गुजरात	3.50
	हरियाणा	1.03
	कर्नाटक	3.47
	महाराष्ट्र	1.57
	मेघालय	2.90
	पंजाब	0.91
	राजस्थान	3.64
	तमिलनाडु	0.84
	उत्तर प्रदेश	8.23
	पश्चिम बंगाल	3.89

3. **राजस्व आसूचना निदेशालय और सीमा शुल्क क्षेत्रीय गठन द्वारा की गई नकद जब्ती का विवरण**

वर्ष	**राज्य**	**भारतीय मुद्रा (हजारों में)**	**विदेशी मुद्रा (भारतीय मुद्रा में हजार रू. के समतुल्य)**
2017-18	असम	0	11.54
	दिल्ली	250	0
	महाराष्ट्र	11465	184590
	मणिपुर	1.93	0
	मेघालय	167.59	12.707
	मिजोरम	749	162.54
	तमिलनाडु	3098	60070
	त्रिपुरा	16666	11.54
	पश्चिम बंगाल	27375	0
2018-19	असम	0	0.31
	दिल्ली	2720	0
	महाराष्ट्र	212	334685
	मेघालय	0	241.73
	मिजोरम	2	1.453
	तमिलनाडु	23025	85350
	त्रिपुरा	3107	25.36
	पश्चिम बंगाल	1916	0
2019-20	असम	804	0
	दिल्ली	3300	0

	महाराष्ट्र	0	172736
	मणिपुर	0	7.78
	मेघालय	5.48	249.67
	तमिलनाडु	8521	84290
	त्रिपुरा	5610	16.309
	पश्चिम बंगाल	6408	0
2020-21	महाराष्ट्र	0	32052
	मणिपुर	0	82
	मेघालय	9.05	0
	मिजोरम	32	0.053
	तमिलनाडु	0	30020
	त्रिपुरा	4533	6.198
	पश्चिम बंगाल	10566.4	0
2021-22	असम	34	0
	महाराष्ट्र	7709	68640
	मणिपुर	280	0
	मेघालय	9.01	1307.87
	तमिलनाडु	4120	75390
	त्रिपुरा	2260	3.383
	पश्चिम बंगाल	8498.4	0
2022-23 (जनवरी 2023 तक)	असम	50	0
	महाराष्ट्र	32	288383
	मेघालय	3.92	35.511
	तमिलनाडु	4250	89020
	त्रिपुरा	1968	2.398
	पश्चिम बंगाल	13760	0